फर्द अहकाम

बद्रीनारायण बनाम राजस्थान सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

केस संख्या 211/2011

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है। जो पत्रावली में संलग्न है जिसे आज रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादी की जानिब कुर्रेजात पर बहस सुनी। वकील वादी के मुताबिक जानिब कुर्रेजात अनुसार वाद को तकमील हेतु निर्णीत करने की इस्तदुआ की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस को मनन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से अन्तर्गत धारा 53,188 रा० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक तहसीलदार कुर्रेजात रिपोर्ट के तकमील हेतु निर्णीत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज दिनांक 21/3/24 को [illegible] किया गया। निर्णय की इत्तला उभय पक्षकार [illegible] निर्णय की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी [illegible]	(हस्ताक्षर) 21/3/2024

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
/2011	14/11/2011	21/03/2024

श्री नारायण पुत्र नन्दा मीणा, निवासी ग्राम नोन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामफूल पुत्र मांगीलाल
2. हनुमान पुत्र मांगीलाल
3. प्रभूदयाल पुत्र प्रताप
4. कल्याण पुत्र प्रताप
5. मूलचन्द पुत्र प्रताप
6. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नोन्दपुरा तहसील जमवारामग जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री राजेश कुमार पारी :– वकील वादी

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 6 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त एवं रिकार्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 123/1 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा ग्राम नोन्दपुरा में स्थित है। जिसमें रकबा 2 बीघा का खातेदार वादी है एवं हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं0 1 व 2 हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सं0 3 से 5 एवं हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 180/219 प्रतिवादी सं0 6 का है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का सरस–नरस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादी का खाता व लगान पृथक किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 15.02.2018 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने दिनांक 20.02.2024 को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादीगण सुनी गई तथा वकील वादीगण ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(42)

88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर नोन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजियात खसरा नम्बर व 424 (गत खसरा नम्बर 123/1) का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं ादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
़नारायण पुत्र नन्दा हि0 13/73, कल्याण, मूलचन्द, ़दयाल पि0 प्रताप हि0 30/73, बाबूलाल, हनुमान, ़मफूल पि0 मांगीलाल हि0 30/73 जाति मीना सा0देह ़ातेदार	415 424	2.76 0.01	बंजड गै.मु. रास्ता	2.76 —
योग	किता 2	2.77	—	2.76

—: प्रस्तावित :—

	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	बद्रीनारायण पुत्र नन्दा जाति मीना सा0देह खातेदार	415/1	0.4202	बंजड	—
	योग	किता 1	0.4202	बंजड	—
	कल्याण, मूलचन्द, प्रभूदयाल पि0 प्रताप जाति मीना सा0देह खातेदार	415/2	0.9699	बंजड	—
	योग	किता 1	0.9699	बंजड	—
	रामफूल, बाबूलाल , हनुमान पि0 मांगीलाल जाति मीना सा0देह खातेदार	415/3	0.9699	बंजड	—
	योग	किता 1	0.9699	बंजड	—
4	शामलाती	415/4 424	0.40 0.01	बंजड गै0मु0रास्ता	— —

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

बद्रीनारायण बनाम रामफूल वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

ुदमा नम्बर – 211/2011

ुदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री राजेश कुमार पारीक वकील ५श होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि नोन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा 415 व 424 खसरा नम्बर 123/1) का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा ; के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
बद्रीनारायण पुत्र नन्दा हि0 13/73, कल्याण, मूलचन्द, प्रभूदयाल पि0 प्रताप हि0 30/73, बाबूलाल, हनुमान, रामफूल पि0 मांगीलाल हि0 30/73 जाति मीना सा0देह खातेदार	415 424	2.76 0.01	बंजड गै.मु. रास्ता	2.76 –
योग	किता 2	2.77	–	2.76

–: प्रस्तावित :–

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	बद्रीनारायण पुत्र नन्दा जाति मीना सा0देह खातेदार	415/1	0.4202	बंजड	–
	योग	किता 1	0.4202	बंजड	–
2	कल्याण, मूलचन्द, प्रभूदयाल पि0 प्रताप जाति मीना सा0देह खातेदार	415/2	0.9699	बंजड	–
	योग	किता 1	0.9699	बंजड	–
3	रामफूल, बाबूलाल , हनुमान पि0 मांगीलाल जाति मीना सा0देह खातेदार	415/3	0.9699	बंजड	–
	योग	किता 1	0.9699	बंजड	–
4	शामलाती	415/4 424	0.40 0.01	बंजड गै0मु0रास्ता	– –

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

रोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही ग एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं दीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा माणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
म्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
म्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
न्तानावकील			महन्तानावकील		
र्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
ब्रत्हजराय क्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
ुत0			मुत0		
मेलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़